न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-डिकी 102/2016
पंजीयन दिनांक 31.03.2016

(1). झमकु पत्नी चुन्नीलाल जाति सुथार निवासी कश्मोर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।(अपील विड्रा)।
(2). नारायण पिता चुन्नीलाल जाति सुथार निवासी कश्मोर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(3). भूरा पिता भागीरथ जाति गूर्जर निवासी ओरड़ी मृतक के बजाय-
(4). केशुलाल पिता स्वर्गीय भूरा जाति गूर्जर निवासी ओरडी मृतक के बजाय-
4/1. टमु बाई विधवा केशुलाल जाति गूर्जर निवासी ओरडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
4/2. गोवर्धन लाल पिता केशुलाल जाति गूर्जर निवासी ओरडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
4/3. नानालाल पिता केशुलाल जाति गूर्जर निवासी ओरडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
4/4. सुशीला पुत्री केशुलाल जाति गूर्जर निवासी ओरडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
4/5. गोविन्द पिता केशुलाल जाति गूर्जर निवासी ओरडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(5). गुणेशलाल पिता भूरा जाति गूर्जर निवासी ओरडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(6). भैरूलाल पिता भूरा जाति गूर्जर निवासी ओरडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(7). देवीलाल पिता भूरा जाति गूर्जर निवासी ओरडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(8). छगु पुत्री भूरा जाति गूर्जर निवासी ओरडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(9). नारायण सिंह पिता भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी नारेला त्हसील व जिला चित्तौड़गढ़।

-अपीलांट्गण

बनाम

(1). प्यारचन्द पिता चुन्नीलाल जाति सुथान निवासी मान्दलदा मृतक के बजाय-
1/1. भगवानी विधवा प्यारचन्द जाति सुथार निवासी मान्दलदा तहसील व

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला चित्तौड़गढ़।

1/2. नारायणी पुत्री प्यारचन्द जाति सुथार निवासी मान्दलदा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

(2). सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 57/1988 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.04.1990

उपस्थित वक्त बहस–(1). ललित झंवर–अधिवक्ता अपीलांटगण
(2). छोगालाल जाट– रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 व 1/2
(3). पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 2

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

निर्णय **दिनांक 17.08.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा पाण्डोली तहसील चित्तौड़गढ़ की खाता संख्या 39 मे दर्ज आराजीयात आराजी संख्या 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2733, 2734, 2735, 2743, 2744 कुल किता 17 कुल रकबा 6.59 हैक्टेयर स्थित है जो चाह नम्बर 2724 से सिंचित होती है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी प्यारचन्द व प्रतिवादी संख्या 2 नारायण सगे भाई है। अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी एवं अपीलांट प्रतिवादी संख्या 2 नारायण की माता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी के नानाजी निवासी मान्दलदा वादपत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित कृषि आराजीयात के मालिक थे। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी के नानाजी के नर सन्तान नहीं होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी को वारिस कायम किया जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी उपरोक्त आराजीयात सहित उनके नानाजी की कुलिया चल–अचल सम्पत्ति पर काबिज चला आ रहा है। अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 अपने पति एवं पिता चुन्नीलाल की समस्त जायदाद मौजा कश्मोर पर काबिज चले आ रहे है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट सख्या 1 वादी मान्दलदा व वादपत्र की चरण संख्या 1 मे उल्लेखित आराजीयात पर काबिज होकर लगान अदायगी करता चला आ रहा है। अपीलांटगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 मौजा कश्मोर मे निवास करते है जहां रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी का कोई स्वत्व अधिकार इस वजह से शेष नहीं रहा है। उल्लेखित आराजीयात मौजा पाण्डोली एक ही चक मौके की होने से प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट अपने पिता की जायदाद पर हकदारी की धमकी देते हुए प्रतिवादी सख्या 2 की लिखावट से जबरन अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है, ऐसा करके प्रतिवादीगण टाइटल के आधार पर उक्त जायदाद का हिस्सा लोगों से सौदेबाजी करने पर उतारू है जबकि अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 चुन्नीलाल जी की पूरी जायदाद का समाज एवं पंचो की सहमती से खाते व कब्जे काश्त मे है। उनकी समस्त चल-अचल सम्पत्ति जो उन्हे विरासत से मिली है, रेस्पोडेन्ट सख्या 1 वादी ने कोई ऐतराज नहीं किया है एवं न ही कोई दखलंदाजी पैदा की है। जबकि अपीलांटगण प्रतिवादीगण आये दिना विवादित आरजीयात पर प्रतिवादी संख्या 1 की अगुवाई से कब्जे संबंधी दखलंदाजी व मौके की अवस्थिति मे बढ़िया भूमी को जबरन व चुपके से स्वयं के नाम दर्ज करा वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हितो पर प्रतिकूल प्रभाव डालने पर तत्पर है जिनके विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी प्यारचन्द की ओर से प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए व जवाब हेतु अवसर चाहा, फिर भी दिनांक 09.05.1979 अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 न तो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे उपस्थित हुए और न ही उनकी ओर से जवाबदावा प्रस्तुत हुआ। दिनांक 09.05.1979 को अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी की साक्ष्य लिवायी जाकर उक्त पत्रावली मे एकतरफा बहस सुनी जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी को विवादित कृषि आराजीयात का खातेदार प्रमाणित होने से दिनांक 11.04.1990 को अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की गई।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 व अन्य पक्षकारान ने मिलकर राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर के न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की जो अपील कमांक डिक्री 174/1990 दर्ज रजिस्टर की जाकर दिनांक 09.01.1992 को निर्णित की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी प्यारचन्द के पक्ष मे पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने की

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

निर्णय व डिक्री पारित की गई। उक्त निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने राजस्व मण्डल राजस्थान के न्यायालय मे द्वितिय अपील प्रस्तुत की जो निर्णय दिनांक 28.11.1997 को स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.01.1992 निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.04.1990 यथावत रखे जाने का निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के न्यायालय मे याचिका प्रस्तुत की जिस पर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय दिनांक 19.01.2016 के द्वारा प्रकरण को इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर नियत अवधी मे निस्तारण किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया गया, जिस पर पत्रावली पुनः दर्ज रजिस्टर की जाकर सुनवाई हेतु नियत की गई।

अपील के साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की।

न्यायाद्वित मे प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाति है।

वक्त बहस उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाकर उभय पक्षकारान को सुना जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने हेतु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने मे सहमति व्यक्त की है जिससे उक्त पत्रावली उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की सहमति को मध्यनजर रखते हुए पत्रावली मे सहमति के आधार पर गुणावगुण पर निर्णय हेतु नियत की गई।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं के द्वारा वक्त बहस पत्रावली अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने हेतु दी गई सहमति के परिप्रेक्ष्य मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायायल की पत्रावली का भी अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि उक्त पत्रावली मे अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 जरिये अधिवक्ता अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे उपस्थित हुए व जवाब हेतु अवसर चाहा। फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलांट्गण प्रतिवादीगण सख्या 1 व 2 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत नहीं हुआ। दिनांक 09.05.1979 को अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 व उनके अधिवक्ता के भी उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी की साक्ष्य लिवायी जाकर दिनांक 11.04.

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

1990 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी के पक्ष मे वादपत्र स्वीकार किया गया है, जिसको माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने हेतु दिनांक 19.01.2016 को सिविल रिट कमांक 2599/1998 के द्वारा प्रतिप्रेषित किया जाकर नवनिर्णय पारित किये जाने का आदेश दिया गया है।

हमने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जिसमे पार्ट-बी व पार्ट-सी जाया हो चुका है व जिला अभिलेखागार से जाया रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है जो अपील की पत्रावली मे संलग्न है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे दस्तावेज नहीं होने से उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करवाये जाने हेतु सहमत है, जिससे गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जा सके। उभय पक्षकारान की सहमति के अनुसार अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 57/1988 निर्णय व डिक्री दिनांक 11.04.1990 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण संख्या 3 से 9 को प्रकरण मे पक्षकार मुकदमा कायम किया जाकर उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दीवानी की पालना करते हुए गुणावगुण पर अजसरे , नवनिर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 15.09.2022 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 17.08.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)